Form No. III

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (मुकाम) मारवाड़ जंक्शन

भंवरसिंह .... बनाम .... सोहनकंवर

किस्म मुकदमा ***राजस्व दरख्वास्त्*** धारा 151 प्रकरण नं. 219... सन् **2018**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसिल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म का तामिल में जारी हुए
28/9/18	वकील प्रार्थी उपस्थित । वकील प्रार्थी द्वारा एक राजस्व दरख्वास्त् विरूद्ध अप्रार्थीगण के अन्तर्गत 151 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ....1955.........के तहत पेश कि गई जो दर्ज रजिस्ट्रर हो। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक....13/11/18 को पेश हो। Sd/- **उपखण्ड अधिकारी** **मारवाड़ जंक्शन**	
13/11/18	पत्रावली पेश हुई आज पीठासीन अधिकारी महोदय, अन्य कार्य से व्यस्त है/भ्रमण पर है/ बैठक मे पधारे हुए है/अवकाश पर है अत: पत्रावली आईन्दा दिनांक..31/12/18..को पेश हो। Sd/- रिडर उप खण्ड अधिकारी एंव मजिस्ट्रेट मारवाड़ जंक्शन	
31/12/18	पत्रावली पेश हुई आज पीठासीन अधिकारी महोदय, अन्य कार्य से व्यस्त है/भ्रमण पर है/ बैठक मे पधारे हुए है/अवकाश पर है अत: पत्रावली आईन्दा दिनांक..7/2/19..को पेश हो। Sd/- रिडर उप खण्ड अधिकारी एंव मजिस्ट्रेट मारवाड़ जंक्शन	
7/2	पत्रावली पेश हुई आज पीठासीन अधिकारी महोदय, अन्य कार्य से व्यस्त है/भ्रमण पर है/ बैठक मे पधारे हुए है/अवकाश पर है अत: पत्रावली आईन्दा दिनांक....19/3/19 को पेश हो। Sd/- रिडर उप खण्ड अधिकारी एंव मजिस्ट्रेट मारवाड़ जंक्शन	

तारीख हुक्मा	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज
26/8/19	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० वकील अप्रार्थी अनु०। वकील अप्रार्थी ने अतिरिक्त तर्क जवाब पेश नहीं किया अतः इनका जवाब बन्द किया जाता है। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस मे जाहिर किया की पूर्व मे न्यायालय हाजा मे प्रार्थी की तरफ से वाद अन्तर्गत धारा 188 तथा 183 RT Act प्रकरण सं. 3/13 पेश किया गया था जिसे पूर्व मे एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे ला कर (प्रार्थी के विरुद्ध) फैसल किया गया, जिसे पुनः रिस्टोर करने हेतु न्यायालय हाजा मे रेस्टोरेशन का प्रा० पत्र पेश किया गया है जिसका अनवान नम्बर 28/2018 न्यायालय हाजा मे विचाराधीन है तथा वादग्रस्त आराजी मे अप्रार्थीगण को जरीये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने हेतु यह प्रा० पत्र पेश किया गया है अतः यह स्थगन प्रा०पत्र न्यायालय हाजा मे पेश किया गया है जिसमे प्रार्थी के हक हिस्से के लिए अप्रार्थी को जरीये स्थगन बाधित किया जाना न्यायोचित है ताकि प्रार्थी को अपना हक हिस्सा मिल सके। हमने प्रा०पत्र का अवलोकन किया प्रा०पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा उस पर मनन किया जैसा कि अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस मे जाहिर किया है कि पूर्व मे वाद सं. 3/13 न्यायालय हाजा मे प्रार्थी के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाये जाने से निर्णित किया जा चुका है तथा उसे पुनः रिस्टोर करने हेतु प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा रेस्टोरेशन का प्रा०पत्र अनवान सं. 28/2018 - न्यायालय हाजा मे पेश किया गया है जो कि विचाराधीन है जिसके साथ ही यह स्थगन प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 151 CPC पेश किया है यहां पर गौर किया जावे तो न्याय का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि रेस्टोरेशन के प्रा०पत्र के साथ किसी भी प्रकार

हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म का तामिल में जारी हुए।
का अन्य स्थगन अथवा अन्य प्र० पत्र पेश करना न्यायोचित नहीं है। स्थगन प्र० पत्र केवल मूल वाद के साथ प्रस्तुत किया जाता है। अतः हस्तगत प्रकरण / प्र० पत्र मे प्रार्थी द्वारा चाही गई इस्तदुआ प्रार्थी को दिया जाना विधि के विरुद्ध है तथा न्याय प्रणाली के अनुरूप नहीं है। क्यों कि रेस्टोरेशन के प्र० पत्र के साथ स्थगन आदेश नहीं प्रस्तुत किया जा सकता है और नहीं स्थगन दिया जा सकता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्र० पत्र के निर्णित / स्वीकार हो जाने पर प्रार्थी स्थगन प्र० पत्र पेश करने हेतु स्वतंत्र है। किंतु इस stage पर स्थगन आदेश दिया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः प्रार्थी का प्र० पत्र पोषणीय नहीं होने से खारीज किया जाता है। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 26/8/19 को सुनाया गया। [signature] सहा० कलक्टर [illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shailendra Singh
Date: 2020.02.21 14:29:55 IST
Reason: SelfAttested
Location: